

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट पालास
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

1. लाल मोहम्मद पुत्र उमरदीन उम्र 70 वर्ष जाति चुनगर निवासी आथुणा मोहल्ला,
वार्ड नं. 4, रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान

वादी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र स्व. दानाराम
2. राकेश पुत्र स्व. दानाराम
3. भगवानी देवी धर्मपत्नी स्व. दानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बावला ग्राम
पंचायत पालास तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
4. तहसीलदार रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा

मुकद्दमा नम्बर - 11/18 सन् 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.)
व हाजरी वादी स्वयं एवं मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी
जाती है कि अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम पालास
मे अवस्थित खाता संख्या 54 मे खसरा नम्बर 260 रकबा 3.57 हैक्टर की वर्तमान खातेदारी
निरस्त की जाकर खसरा नम्बर 260 रकबा 3.57 है0 का खातेदार काश्तकार वादी लाल
मोहम्मद को उद्घोषित किया जाता है खसरा नम्बर 249 मे प्रतिवादी 01 ता 03 को उद्घोषित
किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा। तथा ग्राम पालास मे अवस्थित खाता संख्या 17 मे
भूमि खसरा नम्बर 259 रकबा 6.19 है0 मे से 2.22 है0 भूमि, खसरा नम्बर 260 के चिपती हुई
पश्चिम ओर की भूमि का खातेदार वादी लाल मोहम्मद को उद्घोषित किया जाता है, तथा
शेष खाता यथावत रहेगा। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल
दरामद करे।

निजीX..... मुबलिकX.....बाबत Xखर्चा इस मुकद्दमे
का मय सूद वगैरह Xफीसदी सालाना आज की तारीख वसूलिया वितक.....
Xको अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.2018 सन् 2018 को जारी किया
गया।

मोहर



दस्तख्त
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा ...रामगढ शेखावाटी

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	02.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	11.00	00	मुतफरिक		
मीशान	14.00	00	मीजान	02.00	

नोट:- इसी खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
रामनगर शेखावाटी